न्यायालयः ग्राम न्यायालय, नवलगढ़, जिला झुन्झुनू (राज०)

पीठासीन अधिकारी – सुमन चौधरी (आर.जे.एस.)
नियमित आपराधिक प्रकरण सख्या – 20/2022
सीआईएस रजिस्ट्रेशन संख्या – 20/2022
सी०एन०आर० नंबर – RJJH140000602022
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 13/2022, नवलगढ़
अपराध अंतर्गत धारा – 279, 304 ए भा.द.स.

भाग–प्रथम

A

परिवादी	श्री मनोज कुमार
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी श्री विकास शर्मा
अभियुक्त का नाम व पता	प्रमेंद्र सिंह पुत्र श्री छतूसिंह, उम्र 42 वर्ष, निवासी टोंकछीलरी, पुलिस थाना उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं, राजस्थान।
अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री नेमीचंद डूडी व श्री सज्जन चाहर
अधिवक्ता परिवादी	-----

B

अपराध की दिनांक	08–01–2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	09–01–2022
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	15–02–2022
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	15–02–2022
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	08–04–2022
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	-------
निर्णय दिनांक	22–04–2026
दण्डादेश की दिनांक	-------

C

अभियुक्त का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा–428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि

01	प्रमेंद्र सिंह	------	------	279, 304 ए भा.द.स.	दोषमुक्त	-------	--------------

भाग–द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्ल्यू 1	मनोज कुमार	परिवादी
पी.डब्ल्यू 2	दयाराम	औपचारिक गवाह
पी.डब्ल्यू 3	रणवीर	औपचारिक गवाह
पी.डब्ल्यू 4	प्रदीप कुमार	औपचारिक गवाह
पी.डब्ल्यू 5	प्यारे लाल	औपचारिक गवाह
पी.डब्ल्यू 6	महेंद्र सिंह	फर्द जप्ती वाहन ट्रक व असल कागजात
पी.डब्ल्यू 7	दशरथ सिंह	फर्द जप्ती वाहन ट्रक व असल कागजात
पी.डब्ल्यू 8	नितेश	फर्द जप्ती वाहन ट्रक व असल कागजात व नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट
पी.डब्ल्यू 9	महावीर प्रसाद	बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू 10	डॉ. प्रमोद कुमार	चिकित्सीय गवाह
पी.डब्ल्यू 11	धर्मपाल	बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू 12	शंकरलाल	बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू 13	पवन कुमार	अनुसंधान अधिकारी

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
--	--	--

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श पी.01	तहरीर रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी.02	नक्शा मौका घटनास्थल
03	प्रदर्श पी.03	फर्द पंचायतनामा
04	प्रदर्श पी.04	रसीद सुपुर्दगी लाश
05	प्रदर्श पी.05	फर्द जप्ती ट्रक टाटा 1109 नंबर आरजे 14 जीसी 2372
06	प्रदर्श पी.06	फर्द जप्ती असल कागजात वाहन ट्रक टाटा 1109 नंबर आरजे 14 जीसी 2372
07	प्रदर्श पी.07	नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट
08	प्रदर्श पी.08	पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक मनोज कुमार
09	प्रदर्श पी.09	चाक एफ.आई.आर.

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
	––	

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
	––	

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
	––	

01– संक्षेप में अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 09–01–2022 को परिवादी मनोज कुमार निवासी कुदन थाना दादिया, जिला सीकर ने सीचएची नवलगढ़ में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसका भाई सुभाष दिनांक 08–01–2022 को उसकी बहन के पास गांव बाय तहसील नवलगढ़ गया हुआ था। जहां से वापस गांव आते समय शाम करीबन छः बजे वह नवलगढ़–मुकुंदगढ़ सड़क मार्ग पर पनिहारी होटल से थोड़ा पहले जगदंबा नर्सरी के पास पहुंचा तो सड़क के साइड में नीचे अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके पेशाब करने के लिए रूका एवं वापस मोटरसाइकिल के पास आने

लगा तो झुंझुनूं की ओर से एक ट्रक टाटा 1109 नंबर आरजे 14 जीसी 2372 को उसका चालक बहुत ही तेज गति गफलत व लापरवाही से चलाता हुआ लाया एवं सड़क के साइड में खड़े उसके भाई के तेज टक्कर मार दी। जिससे उसके भाई के सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके परी ही मृत्यु हो गयी। उसके भाई के पीछे से आ रही गाड़ी वालों ने पुलिस को सूचना दी। उक्त दुर्घटना ट्रक चालक द्वारा अपने वाहन को तेज गति गफलत व लापरवाही से चलाकर टक्कर मारने के कारण घटित हुई है। अतः रिपोर्ट देता हूं। उसकी रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें, इत्यादि......।" उक्त आशय की तहरीर रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

02– न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने जुर्म से इंकार कर अन्वीक्षा चाही। जिस पर अभियोजन साक्ष्य को तलब किया गया।

03– अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या–02 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान करवाये गये व पृष्ठ संख्या–03 'अ' में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

04– अभियुक्त के कथन अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना, उसके विरूद्ध झुठा मुकदमा दर्ज करवाया जाना बताया व साक्ष्य सफाई प्रस्तुत करने से इन्कार किया गया।

05– दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन मामला अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे साबित होने के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सजायाब किये जाने का निवेदन किया।

06– दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा उक्त तर्कों का विरोध करते हुये यह मौखिक रूप से यह तर्क दिया गया है कि हस्तगत प्रकरण में मृतक का सड़क पर खड़ा होना मृतक की उपेक्षा व लापरवाही को दर्शाता है। अधिवक्ता अभियुक्त का अन्य तर्क यह है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा नक्शे मौके पर कोई वाहन की स्कीट मार्क, खून के धब्बे आदि नहीं देखे गये हैं, ना ही मौके से ट्रक को जप्त किया गया है और ना ही नक्शा मौका में घटना के आलामात दिखाये गये हैं। मृतक की स्वयं की उपेक्षा व लापरवाही से उपरोक्त दुर्घटना घटित हुई थी। मौके से दुर्घटनाकारित वाहन को जप्त नहीं किया गया था तथा दुर्घटनाकारित वाहन कौन

चला रहा था, इसकी पहचान भी नहीं हुई है। हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी परीक्षित नहीं हुआ है, ना ही मैकेनिकल मुआयना करने वाला परीक्षित हुआ है। जिससे यह साबित हो कि उपरोक्त दुर्घटनाकारित वाहन सही व चालू स्थिति में था। अधिवक्ता अभियुक्त का अन्य तर्क है कि वक्त दुर्घटना धुंधलापन, अंधेरापुन होने से दृश्य नहीं थी और सभी गवाहों ने घटना 50 से 200 मीटर की दूरी के बीच में देखना बताया है। जिससे गवाहों की साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है, ना ही चश्मदीद साक्षी द्वारा अभियुक्त की पहचान करवायी गयी है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा अन्य तर्क यह दिया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों में मृतक की उपेक्षा व लापरवाही तथा गवाहों की दूरी के संबंध में कोई कथन उल्लेखित नहीं हुए। गवाहों की साक्ष्य संदेहास्पद मानते हुए मुलजिम को बरी किया गया है। अतः उपरोक्त आधारों पर हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त को ससम्मान बरी किए जाने का निवेदन किया गया है।

07– बहस उभय पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण हेतु निम्न अवधारणीय बिन्दु विरचित किये जाते है–

01– आया अभियुक्त ने दिनांक 08.01.2022 को समय करीब 06.00 बजे पीएम या उसके लगभग वाके मौजाआम सड़क नवलगढ़ से झुंझुनूं जाने वाली पर पनिहारी होटल से पहले जगदंबा नर्सरी के पास वाहन ट्रक पंजीयन नंबर आरजे 14 जीसी 2372 पर सवार होकर उसको उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया। उक्त वाहन से टक्कर मारकर कर दुर्घटना कारित कर दी तथा सड़क के पास खड़े हुए सुभाष के टक्कर मार दी। जिससे इस दुर्घटना में आई चोटों के परिणाम स्वरूप परिवादी के भाई सुभाष की मृत्यु कारित हुई जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती?

02– यदि हां, तो उसका उचित दण्ड क्या होगा ?

08– भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (आगे **अधिनियम, 1872** से उल्लेखित) की धारा 102 के प्रावधानानुसार, उक्त विचारणीय बिन्दू को साबित करने का भारी अभियोजन पर है। आपराधिक विधि के मुख्य सिद्धांत "Presumption of innocence" के कारण अभियोजन को अपना प्रकरण अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे साबित करना होता है।

09– प्रकरण में परिवादी की मुख्य परीक्षा की साक्ष्य पर गौर करे तो **पी०डब्ल्यू–01**

मनोज कुमार अपने मुख्य परीक्षण की सशपथ साक्ष्य में कथन करता है कि उसका भाई दिनांक 08.01.2022 को उसकी बहन के पास ग्राम बाय गया हुआ था। वहां से वापस गांव आते समय शाम को करीब छः बजे नवलगढ़ मुकुंदगढ़ सड़क पर पणिहारी होटल जगदंबा नर्सरी के पास पहुंचा तो सड़क के किनारे अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके पेशाब करने के लिए रूका था। जब वह वापस मोटरसाइकिल के पास आने लगा तो झुंझुनूं की तरफ से एक ट्रक नंबर आरजे 14 जीसी 2372 के चालक ने वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाकर सड़क के किनारे खड़े उसके भाई सुभाष के टक्कर मारकर एक्सीडेंट कर दिया। जिससे उसके भाई सुभाष के सिर में चोट लगने से उसके भाई की मौके पर ही मौत हो गयी । उसके भाई के पीछे से आ रही गाड़ियों ने पुलिस को सूचना दी तब पुलिस मौके पर आ गयी और उसके भाई की लाश को अस्पताल ले जाकर मोर्चरी में रख दिया। उसको धर्मपाल पूनिया व शंकरलाल ने फोन किया जिन्होंने उक्त दुर्घटना देखी थी और उन्होंने बताया कि उसके भाई के टक्कर मारने वाले ट्रक के चालक का नाम प्रमेंद्र सिंह है जो टोंक छिलरी पीएस उदयपुरवाटी का है। उक्त दुर्घटना ट्रक चालक की गलती व लापरवाही से हुई थी। ट्रक ने पीछे से आकर उसके भाई के टक्कर मारी थी। फिर उसने इस घटना की रिपोर्ट सीएचसी नवलगढ़ में पुलिस को दी थी। रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसके सामने पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका दिनांक 10.01.2022 को बनाया था जो प्रदर्श पी 02 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसके भाई का पंचायतनामा पुलिस ने 09.01.2022 को तैयार किया था, जो प्रदर्श पी 03 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसके भाई की लाश को बाद पोस्टमार्टम उसको सुपुर्द की थी जिसकी रसीद सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 04 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। **प्रतिपरीक्षा** में गवाह कथन करता है कि यह कहना सही है कि दुर्घटना के समय वह कुदन में था। यह सही है कि उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी। यह सही है कि उसको फोन करने वालों ने सिर्फ यही बताया कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया। फोन आने के बाद वह घटनास्थल पर पहुंच गया था। वह फोन करने वालों के फोन करने के आधे घंटे के बाद घटनास्थल पर आ गया था। एंबूलेंस को दुर्घटना बाबत पहले से फोन किया हुआ था। यह सही है कि जिस गाड़ी से मृतक को अस्पताल लेकर गये थे। उस गाड़ी में वह साथ नहीं गया था। यह सही है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 उसके दोस्त ने लिखी थी। यह सही है कि वह वाहन चालक को नहीं जानता है। पंचायतनामा 09 तारीख को बनाया था। नक्शा मौका बना रहे थे जब कजोडमल जी आए थे। जो दुर्घटनास्थल के बिल्कुल नजदीक के ही हैं। नक्शा मौका उसने समझकर व पढ़कर साईन किए थे।

10– इस संबंध में गवाह **पी०डब्ल्यू–02 दयाराम** अपने मुख्य परीक्षण की सशपथ

साक्ष्य में कथन करता है कि सुभाष का पंचायतनामा पुलिस ने 09.01.2022 को तैयार किया था, जो प्रदर्श पी 03 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसके भाई की लाश को बाद पोस्टमार्टम उसे सुपुर्द की थी। जिसकी रसीद सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 04 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। आगे **प्रतिपरीक्षा** में गवाह कथन करता है कि पंचायतनामा पुलिस ने बनाया था, लेकिन किस ने बनाया था, उसको नहीं पता। यह कहना सही है कि पंचायतनामा में क्या लिखा हुआ था। उसने नहीं पढ़ा था। केवल हस्ताक्षर ही किए थे। लाश सुपुर्दगी रसीद किसने बनायी उसको नहीं पता। उसने केवल हस्ताक्षर किए थे।

11– उक्त गवाहान के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी०डब्ल्यू–03 रणवीर** भी स्वीकार करता है कि उसके सामने पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका दिनांक 10.01.2022 को बनाया था, जो प्रदर्श पी 02 है। जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। सुभाष का पंचायतनामा पुलिस ने 09.01.2022 को तैयार किया था, जो प्रदर्श पी 03 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। परंतु आगे **प्रतिपरीक्षा** में कथन करता है कि पंचायतनामा पुलिस ने बनाया था, लेकिन किस ने बनाया था उसको नहीं पता। यह कहना सही है कि पंचायतनामा में क्या लिखा हआ था। उसने उसको नहीं पढ़ा। केवल हस्ताक्षर ही किए थे। नक्शा मौका विकास जी ने बनाया था। उसके साथ तीन चार अन्य व्यक्ति और थे। पुलिस और उनके अलावा नक्शा मौका बनाते समय एक पड़ोसी आया था और कोई नहीं था। यह कहना सही है कि नक्शा मौका बनाया तब ट्रक व मोटरसाइकिल व न ही दुर्घटना से संबंधित कोई आलामात मौजूद थे।

12– उक्त गवाहान के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी०डब्ल्यू–04 प्रदीप कुमार** भी स्वीकार करता है कि उसके सामने पुलिस ने दिनांक 09–01–2022 को मृतक सुभाष सुंडा का फर्द पंचायतनामा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी 03 है। जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। परंतु आगे **प्रतिपरीक्षा** में कथन करता है कि पंचायतनामे में क्या लिखा था, उसे नहीं पता। उसने केवल हस्ताक्षर किए थे। उसने केवल मृतक की छाती पींची हुइर् व बांया हाथ टूटा हुआ देखा था। पंचायतनामे पर हस्ताक्षर करने वाले में मनोज कुमार, दयाराम, रणवीर, प्यारे लाल व उसने हस्ताक्षर किए थे।

13– उक्त गवाहान के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी०डब्ल्यू–05 प्यारे लाल** भी स्वीकार करता है कि उसके सामने पुलिस ने मृतक सुभाष सूंडा का पंचायतनामा दिनांक 09–01–2022 को तैयार किया था। जो नवलगढ़ सरकारी अस्पताल में तैयार किया गया था। फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी 03 है, जिस पर आई से जे उसके गवाह के रूप में हस्ताक्षर हैं। दिनांक 10–01–2022 को पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल का नक्शा मौका

बनाया था। नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 है, जिस पर ई से एफ उसके गवाह के रूप में हस्ताक्षर है। परंतु आगे **प्रतिपरीक्षा** में कथन करता है कि यह सही है कि पंचायतनामा मृतक के मृत्यु के दूसरे दिन दिनांक 09–01–2022 को किया था। वह अस्पताल में दूसरे दिन ही गया था। उसने पंचायतनामा पढ़कर हस्ताक्षर किए थे। नक्शा मौका घटना के तीसरे दिन दिनांक 10.01.2022 को बनाया था। यह किस पुलिस वाले ने बनाया था। उसका नाम उसे नहीं पता। घटनास्थल पर निशानी के रूप में खून पड़ा हुआ था। इसके अलावा और कोई आलामात मौजूद नहीं था। प्रदर्श पी 02 में जो एक्सीडेंट का निशान बताया गया है वह रोड के ऊपर किनारे पर था। प्रदर्श पी 02 में जो मकान बताये हैं वह कुरड़ाराम का खेत व मकान है।

14– उक्त गवाहान के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी०डब्ल्यू–06 महेंद्र सिंह** स्वीकार करता है कि उसके सामने पुलिस ने दिनांक 10–01–2022 को दुघर्टनाकारित वाहन नंबर आरजे 14 जीसी 2372 को जरिये फर्द जप्त किया था। जिसकी फर्द जप्ती उसके सामने बनायी थी। जो प्रदर्श पी 05 है। जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसी रोज पुलिस ने उक्त वाहन के असल कागजात आरसी, इंश्योरेंस व डीएल चालक प्रमेंद्र सिंह को भी पुलिस ने जप्त किया था। जिसकी फर्द जपती उसके सामने बनायी थी, जो प्रदर्श पी 06 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। परंतु आगे **प्रतिपरीक्षा** में कथन करता है कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 05 व पी 06 में पुलिस ने क्या लिख रखा था, उसे पता नहीं। उसने तो बिना पढ़े ही हस्ताक्षर किए थे। उक्त प्रदर्श किस बाबत थे। यह भी उसे ध्यान नहीं।

15– उक्त गवाहान के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी०डब्ल्यू–07 दशरथ सिंह** स्वीकार करता है कि उसके सामने पुलिस ने दिनांक 10–01–2022 को दुर्घटनाकारित वाहन नंबर आरजे 14 जी सी 2372 को जरिये फर्द जप्त किया था। जिसकी फर्द जप्ती उसके सामने बनायी थी, जो प्रदर्श पी 05 है। जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसी रोज पुलिस ने उक्त वाहन के असल कागजात आरसी, इंश्योरेंस व डीएल चालक प्रमेंद्र सिंह को भी पुलिस ने जब्त किया था। जिसकी फर्द जप्ती उसके सामने बनायी थी, जो प्रदर्श पी 06 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। आगे **प्रतिपरीक्षा** में गवाह कथन करता है कि यह सही है कि प्रदर्श पी 05 व पी 06 में पुलिस ने क्या लिख रखा था उसे पता नहीं। उसने तो बिना पढ़े ही हस्ताक्षर किए थे। उक्त प्रदर्श किस बाबत थे, यह उसे ध्यान नहीं। प्रदर्श पी 05 व पी 06 किस दिनांक को बनायी थी, उसे ध्यान नहीं।

16– उक्त गवाहान के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी०डब्ल्यू–08 नितेश** स्वीकार करता है कि दिनांक 08.01.2022 को शाम के करीब छः बजे की बात है। वह अपनी मोटरसाइकिल से डूंडलोद से अपने घर नवलगढ़ आ रहा था। वह जगदंबा नर्सरी के पास

पणिहारी होटल से पहले पहुंचा तो वहां पर सड़क के साईड में एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल लिए खड़ा था। तभी झुंझुनूं की तरफ से एक ट्रक जिसके नंबर आरजे 14 जीसी 2372 उसके चालक ने अपने वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाकर सड़क के साईड में खड़े व्यक्ति के टक्कर मारकर एक्सीडेंट कर दिया। टक्कर से उस व्यक्ति के सिर में गंभीर चोट लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गयी। उसने उसके पास जाकर देखा तो वह व्यक्ति सुभाष निवासी कुदन का था। जिसको वह जानता था। उसने सुभाष के भाई को इस घटना की सूचना दी। वहां पर घटना के समय अन्य लोग मौजूद थे, जिनमें धर्मपाल और शंकरलाल भी थे। जिन्होंने उक्त घटना होते हुए देखी थी। उसने ट्रक चालक का नाम पूछा तो उसने अपना नाम प्रमेंद्र सिंह निवासी टोंक छिल्लरी का होना बताया। उसने ट्रक चालक का नाम सुभाष के भाई मनोज को बता दिया। उक्त दुर्घटना ट्रक चालक की लापरवाही व गलती से हुई थी। मौके पर पुलिस भी आ गयी थी और सुभाष की लाश को राजकीय अस्पताल नवलगढ़ लेकर आ गयी थी। आगे **प्रतिपरीक्षा** में गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि शाम की घटना है। लगभग छः बजे की बात है। अंधेरा हो रखा था। मृतक सुभाष से उसकी 2017–18 से जानकारी है। टक्कर मोटरसाइकिल और सुभाष दोनों के लगी थी। मोटरसाइकिल के नुकसान हुआ था। मोटरसाइकिल के आगे वाईजर टूटे और पीछे से भी नुकसान हुआ था। क्या टूटा हुआ था। उसका उसे नहीं पता। सुभाष के ज्यादा चोट सिर पर लगी थी। सिर पर चोट गाड़ी की टक्कर से लगी थी। जब दुर्घटना घटित हुई थी तब वह मोटरसाइकिल से चल रहा था और घटनास्थल से 20–30 मीटर की दूरी पर था। उसने हेलमेट पहन रखा था और हेलमेट के शीशा भी लगा रखा था। उसने ट्रक को देखा था। सड़क के ऊपर बॉडी नहीं थी। मोटरसाइकिल भी सड़क के नीचे ही थी। उसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी और ट्रक की स्पीड उसकी स्पीड से ज्यादा थी। ट्रक चालक ने अपने ट्रक के दुर्घटनास्थल पर ही ब्रेक लगा दिये थे। सड़क पर ट्रक के टायर के निशान नहीं बने।

17– उक्त गवाहान के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी०डब्ल्यू–09 महावीर प्रसाद** स्वीकार करता है कि उसके पास टाटा ट्रक नलंबर आरजे 14 जीसी 2372 है। जिसका वह आरसी मालिक है। वह अपने उक्त वाहन से एक्सीडेंट होने पर पुलिस ने धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस दिया था। नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट प्रदर्श पी 07 है, जिस पर ए से बी उसका जवाब व सी से डी गवाह के हस्ताक्षर है। वह अपने जवाब में वक्त घटना दिनांक 08.01.2022 को चालक प्रमेंद्र सिंह होना बताया था। उसके सामने पुलिस ने उसके वाहन ट्रक जिसके नंबर आरजे 14 जीसी 2372 को तथा मूल कागजात आरसी, इश्योरेंस व डीएल चालक प्रमेंद्र सिंह का पुलिस ने उसके सामने जप्त किया था। जिनकी फर्द जप्तियां पुलिस ने उसके सामने तैयार की थी जो क्रमशः प्रदर्श पी 05 व पी 06 है। जिस पर ई से एफ उस

हस्ताक्षर है। आगे प्रतिपरीक्षा में गवाह कथन करता है कि उक्त ट्रक के अलावा पांच–छः गाड़ियां थी। इसलिए उसके पास 10–12 ड्राईवर काम करते हैं। इसलिए वह नहीं बता सकता कि दिनांक 08–01–2022 को गाड़ी नंबर आरजे 14 जी सी 2372 को कौन चला रहा था। नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट में क्या लिखा था, उसने नहीं पढ़ा। पुलिस ने क्या लिखा उसे नहीं पता। जप्ती में पुलिस ने क्या लिखा था, उसे नहीं पता। उसने तो हस्ताक्षर किए थे। आगे **प्रतिपरीक्षा** में गवाह कथन करता है कि उसके उक्त ट्रक के अलावा पांच–छः गाड़ियां है। इसलिए उसके पास 10–12 ड्राईवर काम करते हैं। इसलिए वह नहीं बता सकता कि दिनांक 08.01.2022 को गाड़ी नंबर आरजे 14 जीसी 2372 को कौन चला रहा था। नोटिस धारा 133 में क्या लिखा था। उसने नहीं पढ़ा। पुलिस ने क्या लिखा था। उसे नहीं पता। जप्ती में पुलिस ने क्या लिखा था। उसे नहीं पता। उसने तो हस्ताक्षर किए थे।

18– उक्त गवाहान के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी०डब्ल्यू–10 डॉ. प्रमोद कुमार** स्वीकार करता है कि वह दिनांक 09.01.2022 को राजकीय जिला चिकित्सालय, नवलगढ़ में मेडिकल ज्यूरिष्ठ के पद पर पदस्थापित था। उस रोज उसने पुलिस प्रतिवेदन पर सुभाष पुत्र हरिराम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की थी, जिसकी मृत्यु रोड़ एक्सीडेंट में आयी चोटों के कारण बताया गया था। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 08 है, जिसपर ए से बी उसकी मृत्यु के संबंध में राय व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसकी राय में मृतक की मृत्यु का कारण शरीर पर आयी चोटों से अत्यधिक रक्तस्त्राव से हुई थी। आगे **प्रतिपरीक्षा** में गवाह कथन करता है कि मृतक की चोट 12 से 16 घंटे के पूर्व की थी। यह चोट कैसे आयी इस बारे में वह नहीं बता सकता।

19– उक्त गवाहान के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी०डब्ल्यू–11 धर्मपाल** स्वीकार करता है कि दिनांक 08.01.2022 को शाम को 06 बजे वह डूंडलोद से नवलगढ़ आ रहा था। तब वह पणिहारी होटल के थोड़ा सा आगे जगदंबा नर्सरी के पास पहुंचा तो वहां पर एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल के पास आ रहा था। उसकी मोटरसाइकिल सड़क के पास खड़ी थी। तभी उसने देखा कि एक ट्रक जिसके नंबर आरजे 14 जीसी 2372 झुंझुनूं से नवलगढ़ की ओर जा रहा था। जिसके चालक ने अपने ट्रक को तेजगति व लापरवाही से चलाकर मोटरसाइकिल चालक के टक्कर मारकर उसका एक्सीडेंट कर दिया। जिससे उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गयी। उसने उस व्यक्ति के पास जाकर देखा तो वह व्यक्ति सुभाष निवासी कुदन का था। उसने सुभाष के भाई मनोज को फोन करके घटना की सूचना दी। पुलिस भी मौके पर आ गयी थी। सुभाष की लाश को पुलिस वाले सरकारी अस्पताल नवलगढ़ ले आये। घटना के समय नितेष और शंकर लाल भी आ गये थे, जिन्होंने भी घटना होते हुए देखी

थी। उसने ट्रक जिसके नंबर आरजे 14 जीसी 2372 के चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम प्रमेंद्र निवासी टोंक छिल्लरी का होना बताया। उसने ट्रक चालक का नाम मनोज को बता दिया था। उक्त एक्सीडेंट ट्रक चालक की लापरवाही व गलती से हुई थी। आगे **प्रतिपरीक्षा** में गवाह कथन करता है कि वह डूंडलोद से आ रहा था। वह ट्रक के पीछे–पीछे आ रहा था। वह ट्रक के 200 मीटर पीछे था। माताजी की ढाणी के पास जो पुलिया है वहां से उसे ट्रक ने दांय तरफ से क्रॉस किया था। वह मोटराइकिल पर अकेला ही था। समय 06 बजे धुंधलापन था। उसने ट्रक लाईट नहीं देखी। वह अपनी मोटरसाइकिल से 60 किमी की स्पीड से चल रहा था। वाहन ट्रक था। उस पर क्या लिखा हुआ था उसने नहीं देखा। उसने ट्रक के नंबर देखे थे। उसने ट्रक के टायर नहीं गिने। जहां एक्सीडेंट हुआ उससे वह स्थल 200 फीट दूरी पर था। ट्रक की बांय तरफ से एक्सीडेंट हुआ था। मृतक उसका कोई रिश्तेदार नहीं था। वह मृतक को पहने से जानता था। यह सही है कि एक्सीडेंट रोड के साईड में हुआ था। रोड के बांय तरफ 2–3 फीट दूर एक्सीडेंट हुआ था। वह मोटरसाइकिल ट्रक के पीछे चला रहा था, लेकिन उसे पता है कि मृतक मोटरसाइकिल नहीं चला रहा था। वह वहां पर खड़ा था। आदमी मोटरसाइकिल के दांय तरफ खड़ा था। मोटरसाइकिल को मृतक ने पकड नहीं रखा था। मोटरसाइकिल के टक्कर नहीं लगी थी। मृतक के सिर में चोट लगी थी और पैर, हाथ के फूट आ रही थी। उसने समय नहीं देखा कि कितना समय लगा। पुलिस ने उसके बयान उसके बताये अनुसार ही लिखे थे।

20– उक्त गवाहान के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी०डब्ल्यू–12 शंकरलाल** स्वीकार करता है कि दिनांक 08.01.2022 को शाम के बजे 06 बजे वह नवलगढ़ से डूंडलोद जा रहा था। तब गवाह पणिहारी होटल के पास नर्सरी के पास पहुंचा। तो वहां पर एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल के पास आ रहा था। उसकी मोटरसाइकिल सड़क के पास खड़ी थी। तभी उसने देखा कि ट्रक जिसके नंबर आरजे 14 जीसी 2372 झुंझुनूं से नवलगढ़ की ओर आ रहा था। जिसके चालक ने अपने ट्रक को तेजगति व लापरवाही से चलाकर मोटरसाइकिल चालक के टक्कर मारकर उसका एक्सीडेंट कर दिया। वे लोग वहां पर भागकर गये और वहां जाकर देखा कि उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गयी। वहां पर धर्मपाल जी और नितेष भी आ गये थे। उसने उस व्यक्ति को पास जाकर देखा तो वह व्यक्ति सुभाष निवासी कुदन का था। वह सुभाष का जानता था। धर्मपाल जी ने किसी को फोन करके घटना की सूचना दी। पुलिस के आने से पहले उन्होंने ट्रक चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम प्रमेंद्र सिंह निवासी टोंक छिल्लरी का होना बताया। पुलिस भी मौके पर आ गयी थी। सुभाष की लाष को पुलिस वाले सरकारी अस्पताल नवलगढ़ ले आये। उक्त एक्सीडेंट ट्रक चालक की

लापरवाही व गलती से हुआ था। आगे **प्रतिपरीक्षा** में गवाह कथन करता है कि एक्सीडेंट उसके सामने हुआ था। वह झुंझुनूं की तरफ मोटरसाइकिल से जा रहा था। वह 30–40 की स्पीड से चल रहा था। ट्रक की तेजगति से था, लेकिन कितनी स्पीड पर था। वह नहीं बता सकता। उसने ट्रक को क्रॉस नहीं किया था। वह उससे 50 मीटर की दूरी पर था। टक्कर पहले मोटरसाइकिल के लगी थी। मृतक मोटरसाइकिल पर बैठ रहा था। इतने में ही टक्कर लगी। मृतक उछलकर दूर नहीं गिरा, पास में गिर गया था। ट्रक मृतक की बॉडी के उपर से निकला था। बॉडी पिचकी हुई थी। उसने नहीं देखा। उसने ड्राइवर का नाम पूछा था। उसने ड्राईवर को देखा था। सर्दी का समय था। 06 बजे का समय था। धुंधला मौसम था। ट्रक ने लाईट नहीं जला रखी थी। जिसका एक्सीडेंट हुआ था। वह उसे काफी दिनों जानता है। यह कहना गलत है कि मृतक उसका रिश्तेदार है। इस बात का उसे नहीं पता कि उसकी फोन की लोकेशन घटना के समय की लोकेशन पुलिस वालों ने निकलवायी और वह घटनास्थल की ना होकर उसके गांव की आ रही हो। धर्मपाल और नितेश उसके कुछ नहीं लगते। घटना के समय नितेश और धर्मपाल 02–04 मिनट में घटनास्थल पर आ गये थे। सबसे पहले वह ही घटनास्थल पर पहुंचा था। उसने मोटरसाइकिल को नहीं देखा की वह टूट रही थी या नहीं। वह रोड के साईड में चल रहा था और वह मोटरसाइकिल को साईड में खड़ी करके एक मिनट में ही घटनास्थल पर पहुंच गया था। उसने ट्रक देखा था। ट्रोला नहीं था, ट्रक था। उसे नहीं पता कि ट्रोले के कितने चक्के थे।

21– उक्त गवाहान के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी०डब्ल्यू–13 पवन कुमार** स्वीकार करता है कि वह दिनांक 09.01.2022 को पुलिस थाना नवलगढ़ में एएसआई के पद पर पदस्थापित था। उस रोज परिवादी मनोज कुमान ने एक लिखित रिपोर्ट दुर्घटना बाबत सीएचसी नवलगढ़ में पेश की। लिखित रिपोर्ट के आधार पर उसने मृतक सुभाष का पंचनामा तैयार करवाया था तथा पोस्टमार्टम करवाया जाकर लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी। वापसी थाने पर आकर मय रिपोर्ट व पंचनामा व रसीद सुपुर्दगी लाश के साथ पेश की। जिसमें प्रकरण संख्या 13/2022 अंतर्गत धारा 279, 304 ए में दर्ज कर अनुसंधान श्री विकास लांबा एचसी को सुपुर्द किया। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 है, जिस पर ए से बी परिवादी के तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर है, ई से एफ अस्पताल में की गयी कार्यवाही पुलिस अंकित है, जी से एच वापसी थाने में आकर की गयी कार्यवाही पुलिस अंकित है व आई से जे उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा तैयार करवाया गया फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी 03 है, जिस पर आई से जे गवाह के हस्ताक्षर है। रसीद सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 04 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श् पी 08 है। लिखित रिपोर्ट उसने थानाधिकारी श्री सुनिल शर्मा के समक्ष पेष की। जिस पर के से एल उनके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्ष पी 09 है, जिस पर ए

से बी उनके हस्ताक्षर है। जिनके अधीनस्थ कार्य करने के कारण गवाह उनके हस्ताक्षर पहचानता है। आगे **प्रतिपरीक्षा** में गवाह स्वीकार करता है कि यह सही है कि चाक एफआईआर प्रदर्श पी 09 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। यह सही है कि उक्त प्रकरण में उसके द्वारा कोई अनुसंधान नहीं किया गया था। उसके द्वारा प्रकरण में मृतक सुभाष का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम करवाया गया था। बाद पोस्टमार्टम लाश परिजनों को सुपुर्द कर रसीद सुपुर्द की लाश प्राप्त की।

22– चूंकि प्रकरण में न्यायालय के समक्ष प्रथम बिन्दू यह है कि क्या सुसंगत दिवस समय व स्थान पर आरोपी **प्रमेंद्र कुमार** प्रश्नगत वाहन **ट्रक नंबर आरजे 14 जीसी 2372** का चालक था? जैसा कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा **संग्राम सिंह बनाम राजस्थान राज्य–आर.एल.आर. 1990(2) राज. हाईकोर्ट पेज नंबर–726** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन को सर्वप्रथम यह तथ्य सिद्ध करना होता है कि दुर्घटना के समय संबंधित वाहन अभियुक्त द्वारा चलाया जा रहा था, तत्पश्चात ही यह प्रश्न उठता है कि क्या अभियुक्त दुर्घटना के समय वाहन को उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण तरीके से चला रहा था। परिवादी द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट पर गौर करें तो हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष को अपनी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से यह साबित करना है कि बरवक्त घटना के समय व दिनांक को अभियुक्त द्वारा वाहन को चलाकर दुर्घटना कारित की हो। इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर कुल 13 गवाह हस्तगत प्रकरण में परीक्षित करवाये गए हैं। अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि हस्तगत प्रकरण में मृतक की उपेक्षा व लापरवाही करने से यह दुर्घटना घटित हुई थी। बरवक्त दुर्घटना मृतक सड़क पर खड़ा था, जबकि सड़क पर खड़ा होना मृतक की उपेक्षा व लापरवाही को दर्शाता है। इस संबंध में न्यायालय का मत व विवेचन इस प्रकार है कि हस्तगत प्रकरण में गवाह पीडब्ल्यू 01 ने दौराने मुख्य परीक्षा यह कथन किया है कि उसका भाई सड़क के किनारे अपने मोटरसाइकिल खड़ी करके पेशाब करने के लिए रूका था। जब वह वापस मोटरसाइकिल के पास आने लगा तो झुंझुनूं की तरफ से एक ट्रक नंबर आरजे 14 जीसी 2372 के चालक ने वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाकर सड़क के किनारे खड़े उसके भाई सुभाष को टक्कर मारकर एक्सीडेंट कर दिया। दौराने जिरह उपरोक्त गवाह ने यह कथन किया है कि वह ट्रक चालक को नहीं पहचानता है। उसने दुर्घटना नहीं देखी थी तथा जब नक्शा मौका बनाया तब वहां ट्रक और मोटरसाइकिल दोनों ही नहीं थे और मोटरसाइकिल सुरक्षित हालात में खड़ी थी। गवाह पीडब्ल्यू 08 ने स्वंय को घटना का चश्मदीद साक्षी बताया है तथा दौराने मुख्य परीक्षा यह कथन किया है कि सड़क की साइड में खड़े व्यक्ति को टक्कर मारकर एक्सीडेंट किया गया था। दौराने जिरह उपरोक्त गवाह ने यह कथन किया है कि मोटरसाइकिल सड़क से नीचे

खड़ा हुआ नहीं था, सड़क पर खड़ा हुआ था तथा वह मोटरसाइकिल के पास खड़ा था। ट्रक से मोटरसाइकिल व सुभाष दोनों के टक्कर लगी थी। मोटरसाइकिल का नुकसान हुआ था। ट्रक चालक ने अपने ट्रक के दुर्घटनास्थल पर ही ब्रेक लगा दिए थे। सड़क पर ट्रक के टायर के निशान नहीं थे। गवाह पीडब्ल्यू 01 ने अपनी मुख्य परीक्षा में मृतक का अपनी मोटरसाइकिल के पास खड़ा होना बताया है तथा दौराने जिरह कथन किया है कि एक्सीडेंट रोड के साईड में हुआ था तथा 20–30 मीटर की दूरी पर एक्सीडेंट हुआ था। मोटरसाइकिल के टक्कर नहीं लगी थी। गवाह पीडब्ल्यू 12 ने भी मृतक का मोटरसाइकिल के पास सड़क पर खड़ा होना बताया है। उपरोक्त तीनों गवाह पीडब्ल्यू 08, पीडब्ल्यू 11 व पीडब्ल्यू 12 स्वयं को घटना का चश्मदीद साक्षी बताते हैं तथा यह कथन करते है कि मृतक सड़क के साइड में खड़ा था, सड़क पर नहीं था। इस संबंध में नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 का अवलोकन किया गया। उपरोक्त नक्शे मौके में एक्स स्थान घटना घटित होने का स्थान बताया गया है तथा उपरोक्त एक्स स्थान सड़क पर ही है। सड़क के नीचे नहीं दिखाया गया है। सड़क पर ही किनारे पर दुर्घटना घटिना होना बताया गया है। जिससे यह स्पष्ट है कि उपरोक्त दुर्घटना सड़क पर ही घटित हुई थी तथा सभी गवाहों ने एकराय होकर यह कथन किया है कि मृतक की मोटरसाइकिल सड़क पर खड़ी थी तथा मृतक सड़क पर मोटरसाइकिल के पास खड़ा था। जब दुघर्टना घटित हुई तब मृतक मोटरसाइकिल के पास खड़ा था तथा मोटरसाइकिल पर बैठने का प्रयास कर रहा था। उपरोक्त गवाहों की साक्ष्य से तथा नक्शा मौका से यह साबित है कि चूंकि दुर्घटना मोटरसाइकिल के सड़क पर खड़े होने से घटित हुई थी तथा सामान्य मानवीय आचरण के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि किसी काम के लिए सड़क पर रूकता है तो अपने वाहन को सड़क से नीचे उतारकर किसी सुरक्षित जगह में खड़ा करता है, ना कि सड़क पर खड़ा करके और उसके पास स्वयं खड़ा हो जाए। मृतक का उपरोक्त कृत्य जिसमें उसने अपनी मोटरसाइकिल को सड़क पर खड़ा किया और स्वयं पेशाब करने के लिए चला गया। वापस आकर मोटरसाइकिल के पास स्वयं खड़ा हो गया। जिससे उपरोक्त दुर्घटना घटित हो गयी। यह सर्वप्रथम मृतक की उपेक्षा व लापरवाही को साबित करता है। अतः अधिवक्ता अभियुक्त का उपरोक्त तर्क भी इस संबंध में उचित प्रतीत होता है।

23– अधिवक्ता अभियुक्त का अन्य तर्क है कि अभियुक्त द्वारा वाहन उपेक्षा व लापरवाही से नहीं चलाया जा रहा था। इस संबंध में न्यायालय का मत व विवेचन इस प्रकार है कि गवाह पीडब्ल्यू 12 ने दौराने जिरह स्वयं की गति 30 से 40 मीटर की स्पीड से चलना बताया है तथा ट्रक की तेज गति बतायी है, लेकिन कितनी स्पीड थी वह नहीं बता सकता और उसने ट्रक को क्रॉस नहीं किया था तथा घटनास्थल पर स्वयं को सबसे पहले पहुंचना बताता है तथा नितेश और धर्मपाल गवाह पीडब्ल्यू 08 व पीडब्ल्यू 11 का घटना के 02–04 मिनट बाद

आने बताते हैं। गवाह पीडब्ल्यू 12 की साक्ष्य पर विश्वास करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि गवाह पीडब्ल्यू 08 व पीडब्ल्यू 11 हस्तगत प्रकरण में घटना के चश्मदीद साक्षी नहीं हैं, क्योंकि घटना घटित होने के पश्चात 02–04 मिनट बाद गवाहान घटनास्थल पर पहुंचते हैं। गवाह पीडब्ल्यू 12 ने यह कथन किया है कि टक्कर मोटरसाइकिल के लगी थी। मृतक मोटरसाइकिल पर बैठ रहा था, इतने में टक्कर लगी थी। चूंकि गवाह पीडब्ल्यू 11 ने कथन किया है कि मोटरसाइकिल के टक्कर नहीं लगी थी। गवाह पीडब्ल्यू 08 ने दौराने जिरह कथन किया है कि मोटरसाइकिल का नुकसान हुआ था। गवाह पीडब्ल्यू 01 स्वयं रिपोर्टकर्ता है, जिसने दौराने जिरह कथन किया है कि मोटरसाइकिल सुरक्षित साईड में खड़ा था, मोटरसाइकिल के टक्कर नहीं लगी थी। मोटरसाइकिल को टक्कर लगी या नहीं लगी। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। पीडब्ल्यू 12 द्वारा स्वयं को घटना पर पहले पहुचना बताया गया है तथा उक्त गवाह ने कथन किया है कि मृतक मोटरसाइकिल पर बैठने का प्रयास कर रहा था। उस वक्त मोटरसाइकिल को टक्कर लगी थी तथा मृतक को टक्कर लगी तथा मृतक का एक्सीडेंट हो गया। जबकि गवाह पीडब्ल्यू 08 व पीडब्ल्यू 11 मोटरसाइकिल को टक्कर लगने नहीं बताते हैं और मोटरसाइकिल सुरक्षित हालत में खड़ा होना बताते हैं। गवाह पीडब्ल्यू 12 द्वारा मोटरसाइकिल के कहां टक्कर लगी, इस संबंध में कोई भी कथन नहीं किया गया है, जबकि गवाह पीडब्ल्यू 08 द्वारा मोटरसाइकिल के वाइजर का टूटना बताया गया है। जबकि मोटरसाइकिल को टक्कर लगी या नहीं लगी, मृतक मोटरसाइकिल पर बैठने का प्रयास कर रहा था या नहीं कर रहा था इस संबंध में चारों गवाहों के साक्ष्य में भारी विरोधाभास है। उपरोक्त चारों गवाह पीडब्ल्यू 01, पीडब्ल्यू 08, पीडब्ल्यू 11 व पीडब्ल्यू 12 इस संबंध में एक–दूसरे के विपरीत व विरोधाभासी कथन कर रहे हैं। जिससे सर्वप्रथम उपरोक्त गवाहों की साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है तथा उपरोक्त गवाहों के घटनास्थल पर पहुंचने तथा घटना को देखना भी संदेहास्पद प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में चूंकि गवाह अपने साक्ष्य में एक–दूसरे के विपरीत व विरोधाभासी कथन कर रहे हैं और गवाहों की साक्ष्य में विरोधाभास होने से संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा अधिवक्ता अभियुक्त का उपरोक्त तर्क भी उचित प्रतीत होता है।

24– हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी स्पष्ट है कि गवाहों की मुख्य परीक्षा में अभियुक्त द्वारा ट्रक को लापरवाही व उपेक्षा से चलाने का कथन किया गया है, परंतु किसी भी गवाह द्वारा दौराने जिरह इस संबंध में ना तो चालक की गति बतायी गयी है और ना ही चालक की उपेक्षा व लापरवाही बतायी गयी है। मात्र उपेक्षा व लापरवाही कहने से यह साबित नहीं होता है कि चालक द्वारा अपने वाहन को उपेक्षा व लापरवाही पूर्वक चलाया जा रहा था। इसे अभियोजन पक्ष को अपने साक्ष्य से साबित करना होता है। गवाह पीडब्ल्यू 12 द्वारा स्वयं

के वाहन की स्पीड 30–40 किलोमीटर प्रतिघंटा बतायी गयी है, जबकि ट्रक चालक की स्पीड बताने से उपरोक्त गवाह ने इंकार किया है। गवाह पीडब्ल्यू 08 व पीडब्ल्यू 11 भी स्वयं की स्पीड 60 किलोमीटर प्रतिघंटा बताते हैं तथा ट्रक चालक की स्पीड इससे ज्यादा बताते हैं, परंतु ट्रक चालक की स्पीड कितनी थी यह नहीं बताया है, ना ही गवाहों की साक्ष्य से यह साबित हुआ है कि ट्रक चालक अपने ट्रक को उपेक्षा व लापरवाहीपूर्वक से चला रहा हो। यदि ट्रक की स्पीड गवाहों की स्पीड से ज्यादा मान भी ली जाती है तो वह 70 किलोमीटर प्रतिघंटा या 100 किलोमीटर प्रतिघंटा दोनों ही संभव है, परंतु इसे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर था। जिसे अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से साबित नहीं कर पाया है। मात्र गवाह के यह कहने से कि ट्रक की स्पीड उसकी स्पीड से ज्यादा है। ट्रक चालक की गति निर्धारित सीमा से अधिक हो ऐसा साबित नहीं होता है। अभियोजन पक्ष गवाहों की साक्ष्य से ट्रक की उपेक्षा व लापरवाही साबित नहीं कर पाया है। किसी भी गवाहान ने ट्रक को लहराते हुए, तेज गति से चलाते हुए नहीं देखा है, ना ही अनुसंधान अधिकारी व गवाहान ने ट्रक की गति बतायी है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह उत्पन्न होता है। अतः अधिवक्ता अभियुक्त का उपरोक्त तर्क भी उचित प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की उपेक्षा व लापरवाही साबित नहीं हुई है।

25– गवाह पीडब्ल्यू 12 स्वयं को ट्रक से 50 मीटर की दूरी पर होना बताता है। गवाह पीडब्ल्यू 11 स्वयं को ट्रक से 200 मीटर की दूरी पर होना बताता है। गवाह पीडब्ल्यू 08 स्वयं को घटनास्थल से 20–30 मीटर दूरी पर होना बताता है। हस्तगत प्रकरण में गवाह पीडब्ल्यू 12 स्वयं की दूरी घटनास्थल व ट्रक से 50 मीटर बताता है और स्वयं को घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचना बताता है और उसके बाद नितेश और धर्मपाल का घटनास्थल पर आना बताता है। जबकि उसकी दूरी 50 मीटर थी, जबकि इसके विपरीत गवाह पीडब्ल्यू 08 स्वयं की घटनास्थल से दूरी 20–30 मीटर होना बताता है तथा स्वयं की मोटरसाइकिल की स्पीड 60 किलोमीटर प्रतिघंटा बताता है। यदि नितेश के साक्ष्य पर विश्वास किया जाता है तो नितेश को घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचना चाहिए था, क्योंकि गवाह पीडब्ल्यू 12 द्वारा अपनी मोटरसाइकिल को 30–40 की स्पीड से चला रहा था तथा घटनास्थल से 50 मीटर की दूरी पर था, फिर भी शंकरलाल घटनास्थल पर स्वयं को सर्वप्रथम पहुंचना बताता है, जबकि गवाह पीडब्ल्यू 08 को स्वयं की साक्ष्य के आधार पर घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचना चाहिए था, ना कि शंकरलाल को। जिससे उपरोक्त गवाहों द्वारा स्वयं की मोटरसाइकिल की स्पीड भी संदेहास्पद है तथा उपरोक्त गवाहों की साक्ष्य भी एक–दूसरे के विपरीत व विरोधाभासी प्रतीत होती है। उक्त के संबंध में गवाहों द्वारा उपरोक्त घटना देखी गयी या नहीं

देखी गयी। उपरोक्त सभी तथ्य भी संदेहास्पद प्रतीत होते हैं। अतः अभियोजन पक्ष अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। आपराधिक विधि का यह नियम है कि अभियोजन पक्ष अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करें। अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष हस्तगत प्रकरण में यह साबित करने में असफल रहे हैं कि बरवक्त घटना वाहन ट्रक का चालक अभियुक्त रहा हो और उसकी तेज गति व लापरवाही बरतने के तदुपरांत घटना घटित हुई हो। अतः न्यायालय द्वारा किये गये उपर्युक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण से अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में विफल प्रकट हुआ है।

26– परिणामतः उपर्युक्त समस्त विवेचन से विचारणीय बिन्दू नकारात्मक रूप में तय किया गया है। अतः अभियुक्त को आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–आदेश–

27– एतदद्वारा **अभियुक्त प्रमेंद्र सिंह पुत्र श्री छतूसिंह, उम्र 42 वर्ष, निवासी टोंकछीलरी, पुलिस थाना उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं, राजस्थान** को अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता में सन्देह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है। अभियुक्त की ओर से उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत प्रतिभू एवं बंधपत्र एतदद्वारा तत्क्षण भार से उन्मोचित किये जाते है।

28– अभियुक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 (क) के उपबंध के अनुसार स्वयं का 10,000 रूपये का बंधपत्र एवं इसी राशि की प्रतिभू 06 माह की अवधि के लिये न्यायालय की संतुष्टि की पेश करे।

29– प्रकरण में जब्तशुदा वाहन न्यायालय के आदेश से सुपुर्दगी पर दिया गया है, जिसका सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील स्वतः निरस्त समझा जावे। वाहन सम्बंधित के पास ही बने रहने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

(सुमन चौधरी)
न्यायाधिकारी,
ग्राम न्यायालय, नवलगढ

30– निर्णय व आदेश आज दिनांक **22–04–2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।